

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी श्री वासुदेव मालावत (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :-162/2017



बउनवान

बापू पुत्र भंवरलाल जाति गूजर निवासी प्रह्लादपुरा तहसील छीपाबड़ौद जिला बारां

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जयें उप तहसीलदार, हरनावदा शाहजी जिला बारां

(रेस्पोंडेन्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :- 1- श्री संजय नागर अभिभाषक

(अपीलांट)

2- परोकार सरकार

(रेस्पोंडेन्ट)



निर्णय दिनांक 29.05.2018

अपीलांट द्वारा जयें अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, हरनावदा शाहजी के प्रकरण संख्या 175/2017 किस्म धारा 91 एल.आर.एक्ट मे पारित निर्णय दिनांक 25.10.2017 के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपील के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट को वाके ग्राम प्रह्लादपुरा की सरकारी भूमि किस्म चारागाह पर सम्वत् 2074 मे खसरा नम्बर 40 की रकबा 5.00 बीघा भूमि पर फसल मक्का एवं चाराघास बोकर कब्जा करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 30 दिन की सिविल कारावास की सजा एवं 250/- रुपये शास्ति से दण्डित किया है। जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील प्रस्तुत की गई।

इस पर अपील को दिनांक 21.12.2017 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोंडेन्ट को जयें नोटिस तलब किया जाकर, अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर बहस सुनी गई।

अपीलांट अभिभाषक ने दौराने बहस व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का सही अवलोकन नहीं कर निर्णय फरमाया गया है। न्यायालय द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमी बाबत कोई रिकार्ड प्रस्तुत नहीं किया गया है। अपीलांट को तामील नहीं करवाई है। अपीलांट को ना तो जवाबदेही का अवसर मिला और न ही साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया गया तथा हल्का पटवारी से जिरह भी नहीं हो सकी। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इन तथ्यों पर कोई गौर ना कर एकतरफा कार्यवाही करते हुये अपीलांट को सजायाब किया गया है, जो विधि के प्रतिपादित सिद्धान्तों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अपीलांट का किसी भी सरकारी जमीन पर कब्जा नहीं है। केवल मात्र हल्का पटवारी की गलत रिपोर्ट के आधार पर सजायाब फरमाया गया है। अपीलांट ने न्यायालय उप तहसीलदार हरनावदा शाहजी द्वारा किया गया जुर्माना जमा करवा दिया है और सरकारी भूमि से कब्जा भी छोड दिया है। अपील स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
बारां

इसके विपरीत पेरोकार सरकार द्वारा कथन किया गया कि अपीलांट द्वारा सरकारी भूमि किस्म चारागाह पर फसल मक्का एवं चाराघास बोकर कब्जा किया है। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में अनुपस्थित रहा है। अपीलांट द्वारा पूर्व में भी अतिक्रमण किया गया था जिसे अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 819/16 में पारित निर्णय दिनांक 14.12.2016 की पालना में बेदखल किया गया था। अपीलांट द्वारा पुनः सम्वत् 2074 में किया गया अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अपीलांट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गई सजा बहाल रखी जाकर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

हमने उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया, हम पेरोकार सरकार के कथन से पूर्णतया सहमत हैं। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश विधिसंगत प्रतीत होने से यथावत रखा जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणाम स्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय उप तहसीलदार, हरनावदा शाहजी द्वारा प्रकरण संख्या 175/2017 में अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत पारित निर्णय दिनांक 25.10.2017 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29.05.2018 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।



(वासुदेव मालावत)
अति० जिला कलक्टर,
बारा